भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 115

सं. 104/1/2007-एफएम दिनांक : 24 सितम्बर, 2008

<u>आदेश</u>

मंत्रिमंडल के दिनांक 11 सितम्बर, 2008 को 'प्राइवेट अभिकरणों (चरण-II) के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवा का विस्तार' से संबंधित नीति दिशानिर्देशों को संशोधित करने के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुसरण में एफएम चरण-II नीति के मौजूदा पैरा 8.3 को इस प्रकार संशोधित किया गया है :-

"8.3 किसी अनुमति प्राप्त करने वाले चाहे वह विदेशी निवेश वाला हो अथवा नहीं हो, को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की लिखित अनुमति जो प्रचालन की अनुमति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रदान नहीं की जाएगी, को प्राप्त किए बिना अधिकांश शेयरहोल्डरों/प्रवर्तकों के शेयरों को नए शेयरहोल्डरों को अंतरित करने के माध्यम से

कम्पनी के स्वामित्व पैटर्न को परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी और यह लिखित अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाएगी कि नए शेयरहोल्डर सभी निर्धारित पात्रता मानदण्डों का अनुपालन करेंगे। तथापि, आनुषंगिक कम्पनी बनाने, उसी समूह में कम्पनियों को मिलाने, कम्पनी के विघटन इत्यादि के उद्देश्य से शेयरों को पांच वर्ष की अवधि के भीतर और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन अंतरित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है :-

(क) अधिकांश शेयरहोल्डर/प्रवर्तक भविष्य में अधिकांश शेयरहोल्डर/प्रवर्तक ही बने रहेंगे और संयुक्त रूप से उनके पास कुल शेयरों के कम से कम 51 प्रतिशत शेयर होने चाहिए।

(ख) नई कारपोरेट कम्पनी निर्धारित सीमा के भीतर अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बनाए रखेगी और निविदा दस्तावेज तथा अनुमति प्रदान करने वाले करार की निबंधन और शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगी।

(ग) नई कारपोरेट कम्पनी के पास न्यूनतम निर्धारित निवल मूल्य होना चाहिए और निविदा दस्तावेज तथा अनुमति प्रदान करने वाले करार की निबंधन और शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगी।

(घ) नई कम्पनी संबंधित मूल कम्पनी के लाइसेंस की शेष अवधि के लिए निर्धारित निबंधन और शर्तों (शेयरों को अंतरित करने जैसा कि इसमें प्रावधान किया गया है, को छोड़कर) के आधार पर सरकार के साथ नया करार सम्पन्न करेगी।

(ड.) शेयरों के इस प्रकार अंतरण की अनुमति प्रचालन की तारीख से प्रथम पांच वर्ष की अवधि के दौरान केवल एक बार प्रदान की जाएगी।

(च) आनुषंगिक कम्पनियां बनाने, कम्पनियों को मिलाने/विघटित करने, एफएम प्रसारण कम्पनियों को आपस में मिलाने को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नया कर प्रशासन क्षेत्र प्रशासन क्षेत्र निर्धारित नहीं किया जाएगा।

(छ) इस प्रकार कम्पनियों को मिलाने/विघटन करने अथवा कम्पनियों के सम्मिलन से उत्पन्न कोई कर निहितार्थ समय-समय पर यथा-लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों से अभिशासित किया जाएगा।

(ज) लाइसेंसधारी कम्पनियों द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं/की गई कार्रवाई जिसमें नई/आनुषंगिक कम्पनियां बनाने/उन्हें मिलाने/सम्मिलित करने और/अथवा उपक्रमों अथवा उनके किसी भाग अथवा मौजूदा कम्पनियों इत्यादि का विनिवेश शामिल है, के संबंध में शिकायत कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार किए जाने की जरूरत है। आवेदक कम्पनी इस प्रकार की अपेक्षा को किसी करार अथवा अपने अंतर्नियमों के माध्यम से कमजोर नहीं करेगी।"

2. प्राइवेट अभिकरणों (चरण-II) के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवा के विस्तार से संबंधित यथा-संशोधित एफएम नीति सर्वसाधारण की सूचनार्थ मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ज़ोहरा चैटर्जी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन नं. : 23382597

प्रतिलिपि निम्नलिखित को :

1. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 115

<u>सं. 104/1/2007-एफएम</u> दिनांक : 24 सितम्बर, 2008

विषय : प्राइवेट अभिकरणों (चरण-II) के माध्यम से एफएम प्रसारण सेवाओं के विस्तार से संबंधित नीति दिशा - निर्देशों का संशोधन

जैसा कि एनआईसी इससे अवगत है कि प्राइवेट अभिकरणों (चरण-II) के माध्यम से एफएम रेडियो के विस्तार से संबंधित नीति दिशानिर्देश पहले ही मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। अब सरकार ने इन दिशानिर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया है ताकि निजी एफएम प्रसारणकर्ताओं को इसे अपने रेडियो बिजनेस अलग रखने में सक्षम बनाया जा सके।

2. तदनुसार, नीति दिशानिर्देशों के मौजूदा खण्ड 8.3 को इस प्रकार संशोधित खण्ड से प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है :-

"8.3 किसी अनुमति प्राप्त करने वाले चाहे वह विदेशी निवेश वाला हो अथवा नहीं हो, को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की लिखित अनुमति जो प्रचालन की अनुमति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रदान नहीं की जाएगी, को प्राप्त किए बिना अधिकांश शेयरहोल्डरों/प्रवर्तकों के शेयरों को नए शेयरहोल्डरों को अंतरित करने के माध्यम से कम्पनी के स्वामित्व पैटर्न को परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी और यह लिखित अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाएगी कि नए शेयरहोल्डर सभी निर्धारित पात्रता मानदण्डों का अनुपालन करेंगे। तथापि, आनुषंगिक कम्पनी बनाने, उसी समूह में कम्पनियों को मिलाने, कम्पनी के विघटन इत्यादि के उद्देश्य से शेयरों को पांच वर्ष की अवधि के भीतर और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन अंतरित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है :-

(क) अधिकांश शेयरहोल्डर/प्रवर्तक भविष्य में अधिकांश शेयरहोल्डर/प्रवर्तक ही बने रहेंगे और संयुक्त रूप से उनके पास कुल शेयरों के कम से कम 51 प्रतिशत शेयर होने चाहिए।

(ख) नई कारपोरेट कम्पनी निर्धारित सीमा के भीतर अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बनाए रखेगी और निविदा दस्तावेज तथा अनुमति प्रदान करने वाले करार की निबंधन और शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगी।

(ग) नई कारपोरेट कम्पनी के पास न्यूनतम निर्धारित निवल मूल्य होना चाहिए और निविदा दस्तावेज तथा अनुमति प्रदान करने वाले करार की निबंधन और शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगी।

(घ) नई कम्पनी संबंधित मूल कम्पनी के लाइसेंस की शेष अवधि के लिए निर्धारित निबंधन और शर्तों (शेयरों को अंतरित करने जैसा कि इसमें प्रावधान किया गया है, को छोड़कर) के आधार पर सरकार के साथ नया करार सम्पन्न करेगी।

(ङ.) शेयरों के इस प्रकार अंतरण की अनुमति प्रचालन की तारीख से प्रथम पांच वर्ष की अवधि के दौरान केवल एक बार प्रदान की जाएगी।

(च) आनुषंगिक कम्पनियां बनाने, कम्पनियों को मिलाने/विघटित करने, एफएम प्रसारण कम्पनियों को आपस में मिलाने को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नया कर प्रशासन क्षेत्र प्रशासन क्षेत्र निर्धारित नहीं किया जाएगा।

(छ) इस प्रकार कम्पनियों को मिलाने/विघटन करने अथवा कम्पनियों के सम्मिलन से उत्पन्न कोई कर निहितार्थ समय-समय पर यथा-लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों से अभिशासित किया जाएगा।

(ज) लाइसेंसधारी कम्पनियों द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं/की गई कार्रवाई जिसमें नई/आनुषंगिक कम्पनियां बनाने/उन्हें मिलाने/सम्मिलित करने और/अथवा उपक्रमों अथवा उनके किसी भाग अथवा मौजूदा कम्पनियों इत्यादि का विनिवेश

शामिल है, के संबंध में शिकायत कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार किए जाने की जरूरत है। आवेदक कम्पनी इस प्रकार की अपेक्षा को किसी करार अथवा अपने अंतर्नियमों के माध्यम से कमजोर नहीं करेगी।"

3. एनआईसी से यह अनुरोध है कि प्राइवेट अभिकरणों (चरण-।।) के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवा के विस्तार से संबंधित यथा-संशोधित एफएम नीति को उपर्युक्त संशोधित खण्ड के साथ सर्वसाधारण की सूचनार्थ मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध कराया जाए।

(एस.पी. वीर)

अवर सचिव, भारत सरकार

एनआईसी